बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं09 / आ0–02.–08 / 2013 / स्वा0 / पटना, दिनांक / डा0 अभय कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल औरंगाबाद के विरूद्ध केंद्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों को द्वितीय अर्धवार्षिक विभागीय परीक्षा 2012 में कदाचार में लिप्त पाए जाने के आरोप में विभागीय पत्रांक 1157(9) दिनांक 11.9.13 द्वारा डा0 कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनके द्वारा दिनांक 10.10.2013 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसकी सम्यक समीक्षा की गई तथा स्पष्टीकरण पूर्णतया संतोषजक नहीं पाया गया। डा0 कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत डा0 अभय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 59(9) दिनांक 24.01.14 द्वारा निंदन की सजा (वर्ष 2013–14) दी गई।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध डा0 अभय कुमार द्वारा दिनांक 10.02.14 को अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत यह पाते हुए कि डा0 अभय कुमार द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में कोई नया तर्क अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसपर विचार करने की आवश्यकता है उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः 255 (9) / स्वा0, पटना , दिनांकः 24/3/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया / सिविल सर्जन औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 अभय कुमार चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\Health\order 14-06-12.docx